several steps are required to be taken there, including the infrastructure, power generation, better administration of the State Transport and Electricity Board and so many other things. We are in discussion with the State Government and we will let him know.

DR. BAPU KALDATE: What is the normal poverty line?

पावर्टी लाइन की क्या मर्यादा रखी है आपने?

SHRI H. R. BHARDWAJ: This is well known. This is Rs. 6,400 in the Seventh Plan. If somebody is below this, then he is treated as below the poverty line. But so far as Bihar is concerned the problem is not that there is no poverty line. The question is that there is more poverty.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Sir, he was asking him about the parameters to determine the poverty line.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I have said so.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: You have not given any reply to that.

श्री राम अवधेश सिंह : सभापति महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो बिहार के बारे में सवाल उठा है।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिए। आपको इजाजत नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम : सभापति जी, क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतर संख्या गांव के भूमिहीन खेतिहर मजदूर अथवा गांव के दस्तकारों की है? यदि हां, तो इनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए या तो सरप्लस लेंड का आबंटन हो या दस्तकारी का प्रशिक्षण देकर और उन्हें पैसा देकर उद्योग लगाए जाएं या खेती पर आधारित उद्योग लगाए जाएं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कितने हैक्टेयर जमीन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आबंटित करने का लक्ष्य 8वीं पंचवर्षीय योजना में है, कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और कितनी एग्रो बेसड रूरल इंडस्ट्रीज लगाने का लक्ष्य है 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपके यहां मंत्री जी?

श्री हंसराज भारद्वाज : सभापति जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यदि ग्रामीण अंचल को डेवलप करना है तो ये सब बातें होनी चाहिए, पर मैंने पहले ही अर्ज किया है कि 8वीं योजना का डाक्यूमेंट अभी केबिनेट से एप्रूव होकर एन० डी० सी० में पास होकर आएगा तभी मैं पार्लियामेंट के सामने सही तौर पर सही आंकड़े दे पाऊंगा।

श्री सभापति : आप इन बातों का ध्यान रखिएगा।

सूत-धागे की आपूर्ति से संबंधित श्री शिवरामन समिति द्वारा की गई सिफारिशें

*183. **श्री रणजीत सिंह**†

डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्री शिवरामन की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या समिति ने अपनी सिफारिशों में यह कहा है कि हथकरघा बुनकरों को सूत धागे की आपूर्ति संबंधी वर्तमान व्यवस्था दोषपूर्ण है;

(ग) क्या उक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आपूर्ति संबंधी वर्तमान व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किये हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

---

†संसभा में यह प्रश्न श्री रणजीत सिंह द्वारा पूछा गया।

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां ।

(घ) सहकारी कताई मिलों का संवर्धन करके हथकरघा क्षेत्र में सूत की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र को सूत की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान मिलों की क्षमता बढ़ाने हेतु ऋण सहायता देने की एक योजना कार्यान्वित कर रही है ।

हैंक यार्न दायित्व योजना में उपयुक्त संशोधन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापारियों द्वारा सूत की जमाखोरी और चोर-बाजारी को रोकने के लिये हैंक यार्न का स्टाक देखने और विभिन्न काऊंट के मूल्यों को दर्शाने के संबंध में ही जिला अधिकारियों को अधिकार व दायित्व सौंपा गया है । हथकरघा क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण राज्यों जैसे : आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर की सूत मूल्य निर्धारण समितियां गठित की हैं जो अपने-अपने राज्यों में हथकरघा बुनकरों को सूत सप्लाई करने के लिये सहकारी और राज्य क्षेत्र की मिलों द्वारा उत्पादित सूत के विक्रय मूल्यों का निर्धारण करती हैं ।

सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों के लिये सूत की आपूर्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य हथकरघा विकास निगमों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है ।

हथकरघा बुनकरों के लिये सूत की आपूर्ति में सुधार लाने हेतु राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता भी दी जा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों द्वारा सूत व्यापार के कार्यकलापों के लिये वित्त दिया जाता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रणजीत सिंह : माननीय सभापति जी, जैसा मंत्री जी ने बताया कि जो शिवरामन कमेटी बनी है, उसमें कुछ इस तरीके की उन्होंने रिकमेंडेशन्स की हैं कि पहले का जो सिस्टम था वह फाल्टी था और उसके बाद जो मोटा धागा बनता है वह एक्साइज ड्यूटी से एग्जमटिड है और दूसरे जो हैंडलूम की वीवर सैक्शन के लोग हैं, हथकरघा को प्रोत्साहित करने के लिये, सरकार ने उसे हैंडलूम कारपोरेशन के थ्रू, जो स्टेट ओन्ड है, यह धागा बांटा जाता है, लेकिन सर, जो मेरी इनफारमेशन है, वह यह है कि यह धागा बीच में पावरलूम के लोग हैंडलूम के अधिकारियों से मिलकर, यह धागा सीधा उन्हें मिल जाता है । सब्सिडी का फायदा उन पावरलूम के लोगों को मिलता है न कि उन बुनकर लोगों को । तो सरकार इसमें कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे कि डायरेक्ट हथकरघा उद्योग के लोगों को ये फायदा मिले, उन लोगों को न मिले । ये सब्सिडी जो डाइवर्ट होती है इस पर मंत्री जी क्या बताएंगे ?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है । एक्साइज ड्यूटी जो फ्री है उसको लेकर यदा-कदा शिकायतें आती रहती हैं ऐसी तो उसके बारे में हम अलग से कार्यवाही करते हैं । वैसे कोई इसमें सब्सिडी अलग से नहीं दी जा रही है ।

श्री सभापति : हां, वह भी एक प्रकार से हिडन सब्सिडी तो है ही ।

श्री अशोक गहलोत : हां उस पर हम लोग कार्यवाही करते हैं ।

श्री सभापति : उनका कहना यह है कि क्या आप देखेंगे कि वह जो है, जो हथकरघा उद्योग वाले हैं उन तक पहुंच सके ? यही प्रश्न है ना आपका?

श्री रणजीत सिंह : हां सर, मेरा जो कहने का था वह सब्सिडी के बाद जो एक्साईज ड्यूटी . . . **(व्यवधान)**

श्री सभापति : वह ठीक है, वह मैंने साफ कर दिया।

श्री अशोक गहलौत : उसमें कोई माननीय सदस्य शिकायत बताएंगे तो उस पर हम कार्यवाही करेंगे।

श्री रणजीत सिंह : ठीक है सर, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। इस पर जो बात होगी मैं आपसे कहूंगा। दूसरा सवाल मेरा सर, यह है कि जो वर्किंग कैपिटल हथकरघा उद्योगों को नहीं मिल रही है और वह लोग क्योंकि अशिक्षित हैं, असंगठित हैं और इसके अलावा उन लोगों के पास समझ नहीं है, वह लोग हरशद मेहता की तरह कोई सिक्योरिटी या इस तरह से बैंक से नहीं कर सकते, तो मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि पैसा जो है वह इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि उन लोगों को रास्ते मिल सके या वह लोग जो कपड़ा तैयार करते हैं उस पर एक्साईज ड्यूटी से ऐक्जम्शन न देकर जो धागे से कपड़ा बुनकर आए, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे कारपोरेशन या गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज ऐसी हों जो कपड़ा खरीदकर डायरेक्ट उनको उसका बैनिफिट दिया जा सके, ऐसा कुछ कर सकती है।

श्री अशोक गहलौत : चेयरमैन साहब, हमारी पूरी कोशिश है कि वीवर्स तक सब स्कीमों का लाभ सीधा पहुंच सके। यह हमारी कोशिश रहेगी।

श्री सभापति : डा० जे. के. जैन। छोटा सवाल कीजिए। आपकी भूमिका इतनी बड़ी हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है . . . **(व्यवधान)**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : सभापति महोदय, हथकरघा क्षेत्र में लगे हुए बुनकर भाइयों और कपास की खेती कर रहे किसानों के हितों की ओर सदन का और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकारा है अपने बयान में कि श्री शिवरमन की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसने इस बात को पाया है कि हथकरघा बुनकरों को सूत धागे की आपूर्ति संबंधी व्यवस्था दोषपूर्ण है। मंत्री महोदय ने कुछ कदम उठाने का आश्वासन इस सदन को दिया है। मैं इस पूरक प्रश्न के माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कपास की खेती में लगे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके निवारण के लिए भी आप अपनी नीति में कुछ संशोधन करें।

सभापति जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार अभी भी कपास की गांठों के निर्यात पर लगी पाबंदी की नीति को जारी रखना चाहती है, आखिर क्यों ? जब कि कपास की उपलब्धता आज हमारे देश में लगभग 145 लाख गांठों की है और अंदाजन मांग, प्रोजेक्टेड डिमांड जो है हमारे देश में वह केवल 114 लाख गांठों की है। तो फिर कपास की गांठों के निर्यात की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। क्या मैं यह मानकर चलूं . . . **(व्यवधान)**

श्री सभापति : देखिए सवाल है यार्न पर। आप चले गए कॉटन पर, कॉटन से उसके एक्सपोर्ट पर। थोड़ा सा तो रखिए ध्यान। उस दायरे में रहिए . . **(व्यवधान)**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या मैं यह मानकर चलूं कि सरकार की इच्छा वस्त्र उद्योग को कम दामों पर कपास को सप्लाई करने की है ? भारत में कपास के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अपेक्षा बहुत कम हैं।

श्री सभापति : ये कपास पर सवाल नहीं है, यह सवाल है या पर।

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : जुड़ा हुआ है ।

श्री सभापति : नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है... **(व्यवधान)** आप यार्न के बारे में पूछ लीजिए ।

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : यार्न के बारे में मंत्री महोदय के कुछ सुझाव दिए हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय के सुझाव को मैं ज्यादा मीनमेंड न करूं । मैं ध्यान दिलाना चाहता था कि उसमें त्रुटियां हैं, इन्होंने मान लिया । ये कदम उठा रहे हैं, उठाइए । लेकिन यार्न के साथ-साथ कपास का उत्पादक किसान भी जुड़ा है । उसको तरफ यदि आप एक्सपोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे तो किसान को फायदा होगा । आप किसान को नुकसान में डालकर मिल-मालिक को फायदा पहुंचा रहे है । इस नीति को, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : क्या आप कपास यार्न बाहर भेजने की छूट देकर सस्ता यार्न दे सकेंगे, यह सवाल है ।

श्री अशोक गहलौत : चेयरमैन सर, शिवरमन समिति जो बनी थी, वह सिर्फ हैंडलूम के लिए बनाई गई थी और उन्होंने जो रिकमंडेशंस दी हैं वह खाली हैंलूमड के वीवर्स के इंट्रस्ट में दी गई थीं जिसके बारे में आपने क्वश्चन पूछा है । आप बात करने लगे काटन के बारे में, काटन एक्सपोर्ट के बारे में । मैं समझता हूं कि कोई हमारी योजना नहीं है जिससे कि मिल-मालिकों को फायदा पहुंचे । हमारी पूरी योजना है कि हम काटन ग्रोवर्स को फायदा दे सकें और दूसरी तरफ बुनकरों के हित की रक्षा कर सकें । अभी हालत यह है कि काटन के दाम हमने परे दिलवाएं हैं किसानों को और साथ-साथ जो हमारे बुनकर भाई हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, उनको चिंता हमारे सामने है, उनको ध्यान में रखते हुए जो शिवरमन समिति थी, उसकी रिकमंडेशंस जो इम्प्लीमेंट हुई हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए हुई हैं और उस पर मैं समझता हूं कि बुनकरों के सामने आज भी जो धागे की समस्या है उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Mr Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether he is aware of the poor plight and the pitiable condition of a large number of handloom weavers of Uttar Pradesh, many of whom despite repeated assurances by the Central Government, have not been given proper distribution of yarn with the result that they are not able to earn their livelihood properly and also ....

श्री सभापति : अरे हिंदी में पूछो भई, छोटे में

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: The Government agencies and other middlemen indulge in malpractices denying the poor weavers their legitimate due. Will the hon Minister throw some light on this?

श्री अशोक गहलौत : चेयरमैन सर, बुनकरों के सामने धागे की समस्या है, उसका मैंने जिक्र किया । अभी पिछली बार भी मैंने कहा था कि लाख बेल काटन की हम इम्पोर्ट सिर्फ हैंडलूम वीवर्स के लिए कर रहे हैं जिससे कि उनको यार्न मिल सके । उसके अलावा अभी हमने एक और जो पहले स्कीम थी यार्न डिपोज की जिस पर हम सब्सिडी भी देते हैं और मिल के प्राईस पर यार्न वीवर्स तक पहुंच सके, उस स्कीम को हम पूरा लागू करने जा रहे हैं, यह माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा उससे मुझे लगता है कि उसके बाद काफी हद तक बुनकरों की समस्या हल हो जाएगी

SHRI SARADA MOHANTY: Mr Chairman, Sir, the Government has encouraged the setting up of State Handloom Development Corporations. I want to know from the Government in how many States, State Handloom Development Corporations have been established. My second question, is that weavers are running for days together to get the yarn and still they are not getting it. I want to know whether the Government is going to give more yarn to them.

श्री अशोक गहलौत : एन. एच. डी. सी. के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा है वह मैं समझ नहीं पाया कि एन. एच. डी. सी. की क्या समस्या है ?

श्री सभापति : उनका मूल प्रश्न यह है कि :

His main question is whether you will see that the handloom weavers get the yarn easily and that they are not required to run for it every day. He is interested in the handloom weavers getting the yarn at reasonable prices and at the earliest.

श्री अशोक गहलौत : माननीय चेयरमैन सर, जो मैंने अभी नयी स्कीम की घोषणा की है, जो पहले चलती थी, एन. एच. डी. सी. के माध्यम से चल रही थी, हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से चल रही थी, वह बीच में बंद कर दी गई थी। बुनकरों की समस्या को देखते हुए पुनः उसको लागू किया जा रहा है, यह मैंने अभी कहा है। उसके माध्यम से बुनकरों तक धागा पहुंचेगा और सही कीमत पर पहुंचेगा।

श्रीमती सत्या बहिन : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि देश के उन दुर्गम क्षेत्रों में जो सीमांत क्षेत्र हैं और पर्वतीय क्षेत्र है और जहां पर आवागमन की कोई सुविधा ज्यादा नहीं है और वहां पर जो सूत की आपूर्ति होती है वह बहुत महंगी पड़ती है जिसके कारण वहां के वस्त्र उद्योग और खास तौर से हथकरघा उद्योग चाहे वह महिलाएं चलाती हों चाहे वह सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे हों, बहुत मंहगा पड़ता है और वहां के उद्योग कोई खास विकास नहीं कर पाते हैं। तो माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि उन दुर्गम क्षेत्रों के लिए कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है कि इसके लिए कोई खास अनुदान योजना हो या अनुग्रह राशि विशेष रूप से दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सभापति : यहां पहुंचने में बहुत खर्च लगता है, दिक्कत होती है। वहां के लिए आपकी कोई योजना है क्या ?

श्री अशोक गहलौत : चेयरमैन सर, माननीय सदस्या जो भी सुझाव देंगी उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम यार्न को उन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचा सकें।

श्री सभापति : पहाड़ी इलाके वगैहर जो हैं।

श्रीमती सत्या बहिन : यह तो एक सामान्य समस्या है। इस पर सुझाव क्या दें ? यह तो सामान्य समस्या है पूरे देश की।

श्री सभापति : नहीं, उसको देख रहे हैं वह।

श्री प्रमोद महाजन : आप सुझाव नहीं देंगी, तब तक बेचारे क्या करेंगे ? आप सुझाव दे दीजिए।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Sir, to ameliorate the conditions of the handloom weavers and to ensure stable and dependable supply of yarn, the Government, in its wisdom, has sought to import two lakh bales of cotton when abundant cotton is available in the country. Is the import in the form of OGL or under the Advance Licence Scheme ? Is there any duty at all ? Sir, as per records available, the imported cotton is at a price of Rs. 52.87 per kg. which is the landed cost whereas the indigenous cotton of the same quality is priced at Rs. 33.89. What is the rationale of going in for importing cotton at a higher rate when the same quality cotton is available at a cheaper rate ? It it not deleterious to the interests of the cotton growers when abundant quantity of cotton is available, particularly in Guntur and Prakasam districts of Andhra Pradesh, where more than two lakh bales of cotton are lying with the farmers and there are no bidders for this cotton ? Neither the CCI nor any handloom Commissioner comes forward to lift the cotton. What is the rationale behind importing cotton at a higher rate when

the same quality of cotton is available indigenously at a cheaper rate and how does it help the handloom sector by importing cotton at the cost of the grower?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन साहब, दो लाख बेल इम्पोर्ट जो रही है वह ड्यूटी फ्री करने की सरकार की योजना है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि प्राइसेज में डिफरेंस है उसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह हमने आफर दिया है कि देश की सारी मिलों को पूरी स्कीम बनाकर दी है कि जो हैंक्यार्न सप्लाई करेगा वही इस काटन को इम्पोर्ट कर सकेगा। अगर प्राइवेट मिल वालों को यह बात लगेगी कि उसको प्रोफिट हो रहा है इम्पोर्ट करने में हायर रेट पर तो वह करेगा अदरवाइज नहीं करेगा। स्कीम इस प्रकार की बनाई गई है कि अगर वह सोचेगा कि हमारे देश के अंदर काटन मिल रहा है उसको तो वह खुद इस स्कीम में पार्टीसिपेट नहीं करेगा। अभी इस बारे में और कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस स्कीम को हमने फलोट किया है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 184.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, he has not answered the main question. There is cotton lying with the farmers .... (*Interruptions*) ...

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, he has not answered my question. .... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: Question No. 184.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, cotton is lying with the farmers and it has not been lifted ... (*Interruptions*) ....

MR. CHAIRMAN: Question No. 184. Mr. Malaviya.

विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को समाप्त करने के उपाय

*184. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** †:
श्री महेन्द्र सिंह लाठर :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विधायिका और न्याय पालिका के बीच के टकराव को समाप्त करने के लिए कोई कानून पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARMANGALAM): (a) and (b) the Government is examining the question of making suitable amendments to the anti-defection law as contained in the Tenth Schedule to the Constitution in order to avoid the possibility of confrontation between the Legislature and the Judiciary. In this connection, a proposal to provide for an appellate authority is also under consideration. The details are being worked out.

(c) Does not arise.

SHRI P. UPENDRA: What is that authority?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, the Minister has not replied to my question at all. He has tried to confine himself to the anti-defection law ... (*Interruptions*) ... He has only tried to confine himself to the anti-defection law. Sir, even before the enactment of the anti-defection law, there has been confrontation between the Legislature and the Judiciary. You may remember, Sir, that there was

†सभा में यह प्रश्न श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा पूछा गया।